



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221290
CG-DL-E-21082020-221290

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2526]
No. 2526]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SRAVANA 30, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

का.आ. 2853(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसरण में श्री राजीव कुमार, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त) (झारखंड- 1984) को निर्वाचन आयुक्त के रूप में उस तारीख से नियुक्त करते हैं, जिस तारीख को वह श्री अशोक लवासा, निर्वाचन आयुक्त द्वारा 31 अगस्त, 2020 से त्यागपत्र दिए जाने के उपरांत उनके स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[फा.सं. ए.-45011/3/2020-प्रशा.1 (वि.वि.)]

के .बिस्वाल, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2020

S.O. 2853(E).—In pursuance of clause (2) of article 324 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar, IAS(Retd.) (JH:1984) as the Election Commissioner with effect from the date he assumes the office vice Shri Ashok Lavasa, Election Commissioner who has resigned with effect from 31st August, 2020.

[F.No. A.-45011/3/2020-Admn.I(LD)]

K. BISWAL, Addl. Secy.